

30/06/17

श्री पत्रावली नाम आपने घर में मूल मूल पर
मूल कार के साथ पेश हुई। ए. पत्र 22 RTA Act.
निर्णय किया जाकर जो आपल को मूल कार
के निर्णय होने तक स्पष्ट निर्देशना से पाकर
किया जा रहा है कि वे विकसित कारणा के
विशेष मू. मा. का कंकन कर के साथ न करें
पत्रावली फैसल सुनार ही। नाम से
जो की जाकर मूल कार के फैसल होने पर
उसके साथ शामिल दफतर ही।

उपखण्डाधिकारी
बडी (धौलपुर) राज